फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

वादी–प्रेमलता

प्रतिवादी– नरेगा कार्यक्रम अधिकारी व अन्य

केस संख्या : 63/2011

वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा व हटवाये जाने अवैध पाल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		आज यह पत्रावली 'न्याय आपके द्वार' राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट में पेश हुई। वकील वादी उप0। प्रतिवादी उप0। पूर्व में प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने जवाब प्रस्तुत किया हुआ है। वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी खसरा नंबर 1509/2 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा ग्राम निमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। राजकीय रोजगार गारंटी योजना के तहत चल रहे नरेगा कार्यक्रम के दौरान कुछ असामाजिक लोगो ने वादी की खातेदारी भूमि में बडे तालाब की पाल अवैध रूप से डलवा दी है इस कारण वादी के हितो की रक्षार्थ प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना आवश्यक होने से प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे। पक्षकारान को सुना गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात जमाबंदी, जवाब प्रतिवादी संख्या 1 व 2 इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वादी वादग्रस्त आराजयात का रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार है। कैम्प के मुख्य उद्देश्य त्वरित न्याय को दृष्टिगत रखते हुये वादी वाद स्वीकार कर प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः वादी वाद स्वीकार कर डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे खसरा नंबर 1509/2 रकबा 23 बीघा 11 बिस्वा ग्राम नीमेडा, तहसील फागी, जिला जयपुर की आराजीयात में वादी के कब्जे काश्त, उपयोग उपभोग में दखलअंदाजी एवं कब्जा ना तो स्वयं करे, ना ही किसी अन्य से करावे। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 02/05/2018 को राजस्व लोक अदालत कैम्प कोर्ट नीमेडा में सुनाया गया। (सावन कुमार चायल) उपखण्ड अधिकारी फागी	

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी फागी (जयपुर)

Scanned by CamScanner